न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 118/2019 (Bank Case)

"आई.सी.आई.सी.आई. लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय लैण्डमार्क रेस कोर्स सर्किल वडोदरा, एवं कारपोरेट ऑफिस आई.सी.आई.सी.आई बैंक टावर्स बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स बान्द्रा (ई) मुम्बई–400051 शाखा कार्यालय आई सी आई सी आई बैंक लि0 2 सी मधुवनी, मधुबन, उदयपुर–313001

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मकसूद अहमद, पता–
पता–(ए) मकान नं0 45, नगर निगम कॉलोनी छावनी कोटा, जिला कोटा
पता–(बी) प्लॉट नं0 95 सहारा एनक्लेव, थेकडा, कोटा जिला कोटा
पता– 109, एम.ए. इंजीनियरिंग नई धान मण्डी कोटा, जिला कोटा
2. श्रीमति सुल्ताना खानम पत्नि श्री मकसूद अहमद
पता– मकान नं0 45, नगर निगम कॉलोनी, छावनी कोटा जिला कोटा
पता–(बी), प्लॉट नं0 95 सहारा एनक्लेव, थेकडा, कोटा जिला कोटा

(ऋणी / जमानतदार)

– अप्रार्थीगण

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "आन्ध्रा बैंक, शाखा तलवंडी, कोटा राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.11.2014 को रूपये 7,80,000/–(अक्षरेः रूपये सात लाख, अस्सी हजार मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्माण आवासीय प्लॉट नम्बर 95 जिसका क्षैत्रफल 1125 वर्ग फीट है जो कि सहारा एनक्लेव, तेखडा, जिला कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जिसका कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो सुल्ताना खानम पत्नि जनाब मकसूद अहमद जाति मुसलमान के** नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 31.03.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 7,20,183/– (अक्षरे रूपये सात लाख, बीस हजार, एक सौ तिरांसी मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.07.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 6.9.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.07.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं टाईम्स ऑफ इण्ड्या में दिनांक 6.9.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 31.07.2018 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 6.9.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशिं का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्माण आवासीय प्लॉट नम्बर 95 जिसका क्षैत्रफल 1125 वर्ग फीट है जो कि सहारा एनक्लेव, तेखडा, जिला कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जिसका कायर्ालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो सुल्ताना खानम पत्नि जनाब मकसूद अहमद जाति मुसलमान के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner